निविदा प्रारूप

बिहार सरकार

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, कटिहार

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

पुराना सर्व शिक्षा कैम्पस, मिरचाईबाड़ी वार्ड नं0 4 कटिहार, पिन कोड : 854105, दूरभाष : 06452–232410

निविदा आमंत्रण सूचना : 03/2019–2020

निदेशक मध्याह्न भोजन योजना बिहार, पटना के पत्रांक म0भो0 /को0 – **ES143/2017** - 2226 पटना, दिनांक 20.11.2017 एवं **ES40/2015 –** 1218 दिनांक 10.07.2018 में निहित निर्देश तथा विषयाधीन अन्य पत्रों के आलोक में मध्याह्न भोजन योजनांतर्गत राज्य खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न का उठाव कर विद्यालयों तक पहुँचाने के लिए कटिहार जिले के **अमदाबाद, बलरामपूर, बरारी, कुर्सेला, कदवा, प्राणपूर, डंडखोरा, फलका एवं मनसाही** प्रखंड में संवेदक चयन हेतु इस सूचना के माध्यम से निविदा निम्नांकित शर्त्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है –

निविदा की सामान्य शर्त्तें –

1. निविदादाता को 15 पंचायत तक के प्रखंड के लिए 5 ट्रैक्टर,/पिकअप/अन्य छोटी वाहन तथा 15 से अधिक पंचायत वाले प्रखंड के लिए 8 ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन की उपलब्धता का एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि चयन की स्थिति में वे वाहन मालिक अपने ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन को उस प्रखंड में मध्याह्न भोजन योजना के खाद्यान्न के उठाव/वितरण हेतु उपलब्ध कराऐंगे। इनमें से दो वाहन निविदादाता के नाम से होना अनिवार्य होगा तथा शेष वाहनों का एकरारनामा खाद्यान्न उठाव एवं वितरण हेतु उपलब्ध करायेंगे।
2. निविदादाता को 50000/– (पचास हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट अग्रिम सुरक्षित जमा राशि के रूप में जमा करना होगा, (जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, कटिहार के नाम से देय होगा) जो संवेदक के रूप में सेवा जारी रहने तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, कटिहार के कार्यालय में जमा रहेगा।
3. जिन निविदादाता का संवेदक के रूप में चयन नहीं हो पाएगा वैसे निविदादाता को एक माह के अंदर 50000/– (पचास हजार रूपये) अग्रिम सुरक्षित जमा राशि चेक /ड्राफ्ट से वापस कर दिया जाएगा।
4. समय पर कार्य करने में असफल होने/किसी भी प्रकार के आरोप प्रमाणित होने अथवा असंतोषजनक कार्य पर संवेदक की अग्रिम सुरक्षित जमा राशि 50000/– (पचास हजार) रूपये जिला कार्यालय मध्याह्न भोजन योजना द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
5. निविदादाता को पुलिस अधीक्षक/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र जो तीन माह के अंदर निर्गत हो मूल रूप में समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. संवेदक को चावल ढुलाई हेतु जब भी बुलाया जाएगा, अपेक्षित संख्यां में संबंधित माल ढुलाई के वाहन को लेकर एस0 एफ0 सी0 (राज्य खाद्य निगम) के गोदाम पर आना होगा।
7. ससमय खाद्यान्न दुलाई नहीं करने या अपेक्षित संख्यां में वाहन नहीं लाने या चावल की अनियमितता में विद्यालय के प्रभारी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्त रहने पर संवेदक का एकरारनामा रदद करते हुए कानूनी कार्रवाई किया जायेगा।
8. किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी एक ही प्रखंड के लिए निविदा स्वीकार्य होगा। एक से अधिक प्रखंड के लिए निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा हेतु एक से अधिक प्रखंड का विकल्प (Option) देने पर निविदा को नियमानुसार नहीं मानते हुए निविदा प्रकिया में शामिल नहीं किया जायेगा।
9. संवेदक चयन होने पर ढुलाई हेतु एकरारनामा वाले वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। ढुलाई कार्य में प्रयुक्त वाहनों पर मध्याह्न भोजन योजना लिखा हुआ पेंट कराना अनिवार्य होगा। वाहनों पर पेंट से जिला कार्यकम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना एवं उक्त प्रखंड के प्रखंड साधन सेवी का मोबाईल नं0 जिला कार्यालय का दुरभाष संख्यां भी लिखा होना अनिवार्य रहेगा।
10. प्रत्येक निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर निविदा में संलग्न करना होगा कि "मैं कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली का दुकानदार/सरकारी सेवक/बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना का कर्मी नहीं हुं एवं मेरे निकटतम परिवार में कोई निर्वाचित जन प्रतिनिधि/जन वितरण प्रणाली का दुकानदार/सरकारी सेवक/बिहार

राज्य मध्याह्न भोजन योजना का कर्मी नहीं है। उक्त शर्त्त में किसी भी स्तर से गलत पाये जाने पर निविदा रद्द कर दिया जाएगा।

11. प्रत्येक निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र नोटरी से कराकर संलग्न करना होगा कि वह कहीं से काली सूची (Black list) में दर्ज नहीं है तथा उसके द्वारा जमा किये गये सभी कागजात में अंकित सूचना सही है। गलत सूचना देने या गलत कागजात जमा करने पर चयनित निविदादाता का चयन रद्द करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
12. राज्य खाद्य निगम से FAQ (Fair average quality) गुणवत्तापूर्ण चावल का ही उठाव करना होगा। जिला कार्यालय द्वारा विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने हेतु रूट चार्ट तैयार किया जाएगा। रूट चार्ट के अनुसार ही उक्त तिथि को ससमय विद्यालय में संवेदक खाद्यान्न उपलब्ध करायेंगे।
13. वाहन एकरारनामा से संबंधित सभी वाहनों के सभी आवश्यक कागजात यथा – ऑनरबुक, इन्श्योरेन्स, टैक्स टोकन, परमिट, प्रदूषण, फिटनेश एवं अन्य की छायाप्रति स्वभिप्रमाणित कर निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा। वाहन से संबंधित कागजात अप्राप्त रहने या अद्यतन नहीं रहने या किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर एकरारनामा मान्य नहीं समझा जाएगा। जिला मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय द्वारा वाहन के कागजातों की जाँच जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार कार्यालय से कराया जाएगा कि ये सभी वाहन व्यावसायिक कार्य उपयोग के लिए हैं।
14. निविदादाता को आवेदन के साथ अपना हाल का खींचा हुआ पासपोर्ट साईज का 03 (तीन) कलर फोटो/ID Proof/ आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की स्वभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करना होगा।
15. संवेदक को Weighing मशीन से तौल कर विद्यालयों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
16. समान अहर्ता होने की स्थिति में निविदादाता का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
17. संवेदक के चयनमुक्त होने, त्यागपत्र देने या अन्य कारणों से हटाये जाने पर (जैसे प्राथमिकी दर्ज हो जाने पर) उस प्रखंड में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण का कार्य नये संवेदक के चयन होने तक प्रखंड साधन सेवी/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से किया जायेगा। वाहन की व्यवस्था प्रखंड साधन सेवी/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। जिस वाहन से खाद्यान्न की ढुलाई करेंगे उस वाहन से संबंधित सूचना (वाहन मालिक का नाम, पता एवं वाहन का प्रकार) जिला कार्यालय मध्याह्न भोजन योजना को उपलब्ध करायेंगे।
18. संवेदक द्वारा खाद्यान्न की कालाबाजारी करने/विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से खाद्यान्न बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। साक्ष्य प्राप्त होने की स्थिति में बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्धारित दर के अनुसार आर्थिक दंड लगाते हुए वसूली किया जायेगा एवं नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा।
19. चावल का उठाव प्रखंड साधन सेवी तथा संवेदक संयुक्त हस्ताक्षर से करेंगे। मात्रा तथा गुणवत्ता के लिए प्रखंड साधन सेवी एवं संवेदक संयुक्त रूप से जिम्मेवार होंगे। राज्य खाद्य निगम के गोदाम से चावल निर्धारित मात्रा में उठाव कर विद्यालय के स्टोर तक पहुँचाने की जिम्मेवारी संवेदक/प्रखंड साधन सेवी की होगी। इसमें प्रयुक्त होनेवाले वाहन, इंधन, लगने वाली मजदूरी, हथालन व्यय आदि की सारी व्यवस्था संवेदक द्वारा की जाएगी। SIO के आधार पर प्रखंड साधन सेवी तथा संवेदक दोनों अपने संयुक्त हस्ताक्षर से राज्य खाद्य निगम के गोदाम से मध्याह्न भोजन योजना के लिए खाद्यान्न का उठाव करेंगे। प्रखंड साधन सेवी द्वारा प्रत्येक माह की 18 वीं तारीख तक संवेदक को विद्यालय में खाद्यान्न की आवश्यकता आधारित एक वितरण सूची उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर विद्यालयों में संवेदक द्वारा माह की 22 से 30 तारीख तक खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रखंड साधन सेवी द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्राप्त किये गये खाद्यान्न को सत्यापित करते हुए प्रखंड स्तर पर विद्यालयों में खाद्यान्न प्राप्ति सूची को समेकित कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को अगले माह की 10 वीं तारीख तक उपलब्ध कराया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, विद्यालय में खाद्यान्न वितरण सूची के आधार पर संतुष्ट होने के उपरांत संवेदक को परिवहन–सह–हथालन व्यय मद में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर माह के 15 वीं तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
20. चयनित निविदादाता के साथ एकरारनामा एकबार में अधिकतम 2 वर्ष के लिए ही किया जायेगा। संवेदक के असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने की स्थिति में एकरारनामा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, असफल होने या असंतोषजनक कार्य करने का कारण सहित चयन समिति के समक्ष उपस्थापित करेंगे। चयन समिति का निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।
21. एक चयनित संवेदक से दो वर्ष तक ही कार्य लिया जाएगा, तथा दो वर्ष के बाद अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा। दो वर्ष समाप्त होने के पहले (31 मार्च तक) नए संवेदक का चयन कर 1 अप्रैल से नए संवेदक के साथ एकरारनामा कर लेना अनिर्वाय होगा, किसी विशेष परिस्थिति में नए संवेदक के चुनाव निर्धारित समय सीमा तक नहीं हो पाता है, तो उस प्रखंड के प्रखंड साधन सेवी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण किया जाएगा। प्रखंड साधन सेवी/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा भी मात्रा दो ही माह वैकल्पिक तौर पर खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण किया जायेगा। यदि उक्त समयावधि के अन्दर चयन नहीं किया जाता है तो इसकी सारी जवाबदेही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना की होगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना पर जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए नए सिरे से निविदा का प्रकाशन किया जाएगा।
22. निविदादाता को बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
23. संवेदक का चयन जिस प्रखंड के लिए किया जाएगा, उनके कार्यकाल की गणना उक्त प्रखंड के लिए ही मान्य होगा।